Title: Need to review the provisions of Income Tax Act providing double audit for Co-operative Societies - Laid.

डॉ0 लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम के नियम तथा उप-नियमों के तहत विभागीय ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। किंतु, आयकर अधिनियम में संशोधन के पश्चात ऐसी संस्थाओं को, जिनका वार्षिक टर्न ओवर 40 लाख रूपये से ऊपर है, उनके लिए विभागीय ऑडिट कराना तो अनिवार्य है ही, किंतु उनको चार्टेड एकाउन्टेंट से भी ऑडिट कराना अनिवार्य है। इस प्रकार से सहकारी संस्थाओं को दोहरे ऑडिट से गुजरना होगा।

अतः यह आवश्यक है कि या तो उनको आयकर अधिनियम में किए गये संशोधन के अनुसार चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा पुनः ऑडिट कराने से मुक्त कर दिया जाये अथवा विभागीय ऑडिट से मुक्त रखा जाये।

देश भर में जो सहकारिता की स्थिति है, उस दृटि से भी यह आवश्यक है कि आयकर अधिनियम में किये गये उक्त संशोधन से मुक्त रखा जाए व तद्नुसार संशोधन किया जाये। यदि मुक्त किया जाना संभव नहीं हो तो आयकर विवरणीका प्रस्तुत करने की समय सीमा में छूट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जो सहकारी संस्थायें सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) प्रणाली के अन्तर्गत और समर्थन मूल्य पर खरीदी (पीपीएस) प्रणाली के तहत कार्य करती हैं, उन्हें आयकर के उक्त प्रावधानों से मुक्त रखा जाए।